प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
सहारनपुर,मेरठ,आगरा,बरेली,मुरादाबाद,कानपुरनगर,वाराणसी,मिर्जापुर,गोरखपुर,आजमगढ़,
लखनऊ,फैजाबाद व गोण्डा।

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–2016 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2515 के अर्न्तगत 04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन

पत्रांक– सी–039 /बजट/2015–2016 लखनऊ :: दिनांक :: 15,फरवरी,2016

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–9/678/38–3–2015–1105/2014 दिनॉक 30.अप्रैल,2015 एंव शासनादेश संख्या–15/1667/38–3–2015–1105/2014 दिनांक 31.08.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक ''2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर– 001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति रूपये 11,06,76,000(रूपये ग्यारह करोड़ छःलाख छिहत्तर हजार मात्र) में से अवशेष धनराशि एवं शासनादेश संख्या–108/38–3–2016–1105/2014 दिनॉक 08.फरवरी,2016 द्वारा वेतन,मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते की मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रूपये 1,04,14,000.00(रूपये एक करोड़ चार लाख चौदह हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट ग्रिड संख्या–001–C-039-Budget-2015-16 दिनांक 15-02-2016 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 1,21,67,432.00(रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख सरसठ हजार चार सौ बत्तीस मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपको आवंटित की जाती हैः–

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2– यह अवगत कराना है कि वेतन,मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते मद में धनराशि बजट की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जा रही है। अतएव शासनादेश संख्या–बी–3–1497/ दस–2010–100(4)–ब0मै0–टी0सी0–II दिनांक 21.जून,2010 के अनुसार ग्रुपिंग व्यवस्था के अनुसार वेतन,मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते का आहरण सुनिश्चित करें।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदशों का कडाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1 –1195/दस–16/94 दिनॉक 06जून,1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30.मार्च,2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के सम्बंध में निर्देशित करना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 दिनांक 20.09.2011 के भाग–5 के प्रस्तर संख्या–21 के अनुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी ''शीर्ष'' से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया

वेतन,भत्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते हैं। अतएव भुगतान से पूर्व यह सुनिशचित कर लें कि सम्बंधित कार्मिक को भुगतान उसी ''शीर्ष'' से किया जा रहा है ,जिसके अन्तर्गत उसके वेतन भत्ते आदि भुगतान हुए हैं। तद्‌कम में संलग्नक संख्या-2 में अंकित सूची के अनुसार सम्बंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करें साथ ही धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिय जाये कि सम्बंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि कोई चिकित्सा व्यय अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन कर लिया जाये किसी भी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोहरा भुगतान न होने पाये उपर्युक्त शर्तो तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के उल्लंघन अथवा दोहरे भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

6- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखार्शीषक''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम -आयोजनेत्तर-पक्ष'' के अर्न्तगत संलग्नक मे दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक /प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेंगा ।

7- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनेत्तर पक्ष)के पृष्ट संख्या 62 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम04)डी0डी0ओ0रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनॉक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक-सी-039 /बजट(1)/2015-16 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर,मेरठ,आगरा,बरेली,मुरादाबाद,कानपुरनगर,वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर,आजमगढ़,लखनऊ,फैजाबाद व गोण्डा,उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
4- संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
5- जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर,मेरठ,आगरा,बरेली,मुरादाबाद,कानपुरनगर,वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़,लखनऊ,फैजाबाद व गोण्डा,उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर,मेरठ,आगरा,बरेली,मुरादाबाद,कानपुरनगर,वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर,आजमगढ़,लखनऊ,फैजाबाद व गोण्डा,उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल हेतु।

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।